रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2008/चैत्र 8, 1930
No. 169] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2008/CHAITRA 8, 1930

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2008

सा.का.नि. 249(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं. आ. 239

संविधान (राजस्व वितरण) सं. 10 आदेश, 2008

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं. 10 आदेश, 2008 है ।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है ।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2007 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट राज्य को राजस्व सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तंभ (2) से स्तंभ (5) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां उन स्तंभों में वर्णित सेक्टरों और सेवाओं के प्रशासन से संबंधित मानकों और "विशेष समस्याओं" को उन्नत करने के लिए कार्यक्रमों पर राजस्व और पूंजी की प्रकृति के व्यय मद्दे भारत की संचित निधि पर भारित होंगी, अर्थात् :—

सारणी

निम्नलिखित से संबंधित मानकों को उन्नत करने के लिए

राज्य	कारागार प्रशासन	अग्नि	स्वास्थ्य	विशेष समस्याएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(रुपए लाख में)		
मध्य प्रदेश	59.00	206.60	365.00	314.74 :

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां ऊपर विनिर्दिष्ट सैक्टरों और सेवाओं के प्रशासन से संबंधित मानकों को उन्नत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए और राज्य स्तरीय सशक्त समितियों द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम पर खर्च की जाएंगी :

परन्तु यह और कि यदि किसी प्रशासन से संबंधित इस प्रकार अनुमोदित कार्यक्रम पर वास्तविक व्यय, जो 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखाओं में प्रकट किया गया है, उस प्रशासन के सामने ऊपर विनिर्दिष्ट अनुदान की रकम से कम है तो, इस प्रकार संदत्त अधिक रकम ऐसी किसी राशि या राशियों में समायोजित की जाएगी जो किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी उत्तरवर्ती वर्ष में उस राज्य सरकार को संदेय हो सकती है ।

(2) उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्यों को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी ।

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल,
राष्ट्रपति ।"।

[फा. सं. 19(10)/2008-विधायी I]

के. डी. सिंह, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2008

G.S.R. 249(E).— The following Order made by the President is published for general information :—

"C. O. 239

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) NO. 10 ORDER, 2008

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Eleventh Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 10 Order, 2008.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2007, as grants-in-aid of the revenues to the State specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in columns (2) to (5) of the said Table, towards expenditure of revenue and capital nature, on programme for upgradation of standards and special problems relating to the administration of the sector and services mentioned in those columns, namely :—

TABLE

For upgradation of standards relating to

State	Jail Administration	Fire	Health	Special problems
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(Rupees in lakhs)		
Madhya Pradesh	59.00	206.60	365.00	314.74 :

Provided that the sum specified above was to be expended on programme formulated by the State Government for upgradation of standards relating to the administration of the sectors and services specified above and approvaed by the State Level Empowered Committees :

Provided further that if the actual expenditure on such approved programmes relating to any administration as revealed in the accounts of the year ending on the 31st March, 2005 is lower thatn the amount of grant specified above against that administration, the amount so paid in excess shall be adjusted against any sum or sums which may become payable to the State in any of the succeeding years for any other purpose.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the State under each of the provisions to clause (1) of article 275.

PRATIBHA DEVISINGH PATIL,
President.".

[F. No. 19(10)/2008-Leg.-I]
K. D. SINGH, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.